फाइल नं0-71-1002/47/2023

104/2023/I/343914/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 05 जुलाई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 31 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष उपकरणों के कय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-89/2023/I/335323/2023-71-1002/47/2023, दिनांक 20.06.2023 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 31 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु विभागावार उपकरणों की सूची (लागत रू0 3.8620 करोड़) अनुमोदित की गयी।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-48/2023/I/293864/2023-71-1002/19/2022, दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आजमगढ़, जालौन, बांदा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा एंव गोरखपुर में पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष कुल रू0 89.5248 करोड़ (राज्यांश) महानिदेशक, चि0शि0 के निर्वतन पर रखी गयी। उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु रू0 14.88 करोड़ (राज्यांश) की धनराशि रक्षित की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में 31 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20.06.2023 द्वारा अनुमोदित उपकरणों की सूची (लागत रू0 3.8620 करोड़) के सापेक्ष उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु महानिदेशक, चि0शि0 के निर्वतन पर रक्षित धनराशि कुल रू0 14.88 करोड़ (राज्यांश) में से रू0 3.8620 (राज्यांश) उपकरणों के क्रय हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति महानिदेशक, चि0शि0 एंव प्रशि0 को निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. उपकरणों के क्रय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाए।
2. शासनादेश संख्या-128/2022/I/244885/2022-71-1001/1703/2019, दिनांक 07.12.2022 द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु स्पेसिफिकेशन निर्धारित किये गये है। चूंकि यह योजना भारत सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की टाइम बाउण्ड योजना है। अतः उपकरणों के स्पेसिफिकेशन उपलब्ध न होने की दशा में प्रधानाचार्य स्थानीय स्तर पर समिति का गठन कर स्पेसिफिकेशन निर्धारित करें। उपकरणों के स्पेसिफिकेशन की निष्पक्षता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ की होगी।

3. शासनादेश संख्या-89/2023/I/335323/2023-71-1002/47/2023, दिनांक 20.06.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2022-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
6. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2022-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव

संख्या/ तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in